

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

Tel--05944-242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

"अल्पकालीन ई-निविदा सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा पहाड़गंज स्थित ट्रैचिंग ग्राउण्ड में

एकत्रित 26000 मीट्रिक टन Current Waste के मानकों के अनुसार निस्तारण हेतु इच्छुक फर्मों/सेवाप्रदाताओं/एजेन्सीयों/आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 29.08.2023 की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 04.09.2023 की सांय 05:00 बजे तक दोहरी निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) के अन्तर्गत अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 05.09.2023 को दोपहर 12:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी / शर्तें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com से डाउनलोड की जा सकती है। ई-निविदा के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक नगर निगम, रुद्रपुर कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा।

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)

नगर आयुक्त

नगर निगम, रुद्रपुर, (ऊ०सि० नगर)

(रामपाल सिंह)

महापौर

नगर निगम, रुद्रपुर, (ऊ०सि० नगर)

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

Tel--05944-242400 E-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक - १३१५ / मुख्य कार्या०/२०२२-२३ | P.B.

दिनांक- २८ अगस्त, 2023

प्रतिलिपि:- निम्न कों सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
6. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं राष्ट्रीय सदाचार को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त ई-निविदा सूचना को 6x8 सेमी० साइज में अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत या उससे अधिक छूट देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक मे प्रकाशन का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. श्री तपन कुमार राय, डा.इ.आ., नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तों को उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in एवं नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

२८ अगस्त २०२३
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर



नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्रॅचिंग ग्राउण्ड पर Current Waste का वैज्ञानिक विधि से

निस्तारण किए जाने हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र मूल्य रु0 5000+900 (GST 18%)=5900.00

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा 02 बिड प्रक्रिया (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्रॅचिंग ग्राउण्ड पर एकत्रित लगभग 26000 मीट्रिक टन Current Waste का CPCB के मानकों के अनुसार वैज्ञानिक विधि से पृथक्कीकरण एवं निस्तारण किए जाने हेतु इच्छुक सेवाप्रदाताओं/फर्मों/एजेन्सीयों आदि से निम्न की-डेट्स के अनुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैं—

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1.	Date Of Online Publication	29/08/2023	11:00 am
2.	Documents Download Start Date	29/08/2023	11:00 am
3.	Bid Submission Start Date	29/08/2023	11:00 am
5.	Bid Submission End Date	04/09/2023	05:00 pm
6.	Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date	05/09/2023	11:00 am
7.	Bid Opening Date	05/09/2023	12:00 pm

निविदा की शर्तें निम्नवत् हैं—

- सफल निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला पहाड़गांज स्थित ट्रॅचिंग ग्राउण्ड पर वर्तमान में एकत्रित लगभग 26000 मीट्रिक टन Current Waste का CPCB के मानकों के अनुसार न्यूनतम 400 MT प्रतिदिन क्षमता की ट्रामल मशीन/Ballast Seprator से अधिकतम 03 माह में निस्तारण का कार्य करना होगा।
- वर्तमान में एकत्रित Current Waste के निस्तारण का लक्ष्य 03 माह होगा। Current Waste की मात्रा के अधिक पाये जाने अथवा कार्य संतोषजनक होने की दशा में कार्य की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- कार्य की पाक्षिक समीक्षा के दौरान यदि नगर, निगम रुद्रपुर को यह प्रतीत होता है कि सफल निविदादाता 03 माह की निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करने में समर्थ नहीं होगा तो उसे नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा नोटिस प्रेषित किया जा सकता है, जिसका 07 दिवस के भीतर संतोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त न होने की दशा में निर्धारित कार्यावधि समाप्ति के पश्चात् रु0 एक लाख का जुर्माना लगाया जायेगा।
- यदि सफल निविदादाता निर्धारित कार्यावधि समाप्त होने के 4 सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तो उस पर बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार जुर्माना लगाए जाने के साथ-साथ उसके अनुबन्ध को तत्काल निरस्त करते हुए कार्यपूति प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिस पर सफल निविदादाता का कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- यदि कार्य की अवधि में किसी समय पर यह पाया जाता है कि सफल निविदादाता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया किया जा रहा है, तो नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा सफल निविदादाता को इस सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जायेगा। यदि नोटिस निर्गत करने के 15 दिवस के अन्दर सफल निविदादाता की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर को होगा तथा सफल निविदादाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- सफल निविदादाता को Current Waste के निस्तारण हेतु अधिकतम 02 सप्ताह के भीतर ही धरातल पर आवश्यकतानुसार समस्त प्रकार का सिविल कार्य, निविदानुसार वांछित क्षमता के न्यूनतम 02 फ्लांटों एवं मशीनरी की स्थापना आदि का कार्य भी सम्पन्न करना होगा।

7. वित्तीय निविदा BOQ प्रारूप में रहेगी, तथा निविदादाता का चुनाव न्यूनतम प्रस्तुत दर के आधार पर किया जायेगा। ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर प्रतिदिन आने वाले अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण हेतु अनुबन्धित फर्मां द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार किया जायेगा।
8. प्रत्येक निविदादाता को एक ही निविदा Submit/डालने का अधिकार होगा। एक से अधिक निविदा Submit/डालने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत समस्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. निविदा दो भागों में (तकनीकी एवं वित्तीय) डाली जायेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी एवं तकनीकी निविदा में अहं निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
10. निविदा की अनुमानित लागत ₹0 1.43 करोड़ (एक करोड़ तैतालीस लाख रुपये मात्र) अधिकतम है। सफल निविदादाता को अनुबन्ध होने की तिथि से आगामी 01 सप्ताह के भीतर कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि के रूप में ₹0 110,44,000.00 (ग्यारह लाख चौवालीस हजार मात्र) की बैंक गारण्टी / एफडीआर जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, को नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
11. सफल निविदादाता को प्रतिमाह अपना बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के साथ नगर निगम रुद्रपुर को इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा कि उसके द्वारा सम्पूर्ण Current Waste तथा उससे निकलने वाले सामान/RDF का CPCB/NGT/मा0 न्यायालय तथा समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित मानकों के तहत ही निरस्तारण किया गया है।
12. बिड डालने हेतु निम्न प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे किसी भी वांछित प्रपत्र के अपलोड न होने की स्थिति तथा अपठनीय होने की दशा में बिड निरस्त कर दी जायेगी—
 - I. निविदादाता को निविदा की धरोहर धनराशि ₹0 2,86,000.00 (दो लाख छियासी हजार रुपये मात्र) की एफडीआर जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, को तकनीकी निविदा के साथ की-डेट्स के अनुसार मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसे स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - II. निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर डाउनलोड व अपलोड किये जायेंगे तथा निविदा की शर्तें उपरोक्त वेबसाइट के साथ-साथ नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की दशा में निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य ₹0 5,000+ 900 (GST 18%)=5,900.00 (पाँच हजार नौ सौ रुपये मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ की-डेट्स के अनुसार मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन कर अपलोड करना होगा। निविदा प्रपत्र मूल्य केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार्य होगा।
 - III. निविदादाता को आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र (पैन कार्ड) को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - IV. निविदादाता को जी0एस0टी0 पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - V. निविदादाता को विगत 03 वित्तीय वर्षों (2019–20, 2020–21 व 2021–22) के आई0टी0आर0 को स्कैन कर अपलोड करना होगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 की आई0टी0आर0 न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2018–19 की आई0टी0आर0 भी मान्य होगी।
 - VI. निविदादाता को विगत 03 वित्तीय वर्षों (2019–20, 2020–21 व 2021–22) का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र (UDIN सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर ₹0 60.00 लाख (साठ लाख रुपये मात्र) होना चाहिए, जिसके प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 का टर्नओवर प्रमाणपत्र न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2018–19 का टर्नओवर प्रमाणपत्र भी मान्य होगा।
 - VII. निविदादाता के पास विगत 03 वर्षों (2020–21, 2021–22 व 2022–23) में किसी एक वर्ष में किसी एक नगरीय निकाय में न्यूनतम 25000 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट/Current Waste/ लिगेसी वेस्ट

निस्तारण करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा। निविदादाता को इस सम्बन्ध में कार्यादेश की प्रति तथा संतोषजनक कार्य किए जाने का प्रमाण पत्र को पृथक-पृथक रैकॉर्ड कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

VIII. निविदादाता को ₹0 100.00 के नोटरीकृत शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, पूर्व में उसकी फर्म को सम्पूर्ण भारतवर्ष में किसी भी संस्था/विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, को रैकॉर्ड कर अपलोड करना होगा तथा तकनीकी निविदा के साथ उसकी मूल प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

- IX. निविदा को ₹0 100.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर को रैकॉर्ड कर अपलोड करना होगा तथा उसको मूल रूप तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
X. निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रैकॉर्ड कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
XI. निविदादाता को श्रम विभाग, ई०पी०एफ०, ई०एस०आई०सी० में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा तकनीकी निविदा के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

13. सफल निविदादाता को सम्पूर्ण कार्य एवं सेवाओं का निष्पादन एक इकाई के रूप में करना होगा तथा ज्वाइट वैचर भी मान्य होगा।
14. सफल निविदादाता को Current Waste का निस्तारण नगर निगम के नियंत्रण और पर्यवेक्षण पर होगा।
15. सफल निविदादाता द्वारा Current Waste के निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार रात्रि में भी कार्य किया जा सकता है।
16. सफल निविदादाता को Current Waste के निस्तारण हेतु आवश्यक मशीनरी, बिजली एवं पानी की व्यवस्था आदि की व्यवस्था स्वयं तथा अपने व्यय पर करनी होगी तथा कार्य की अवधि में उस पर होने वाले समस्त व्यय के सापेक्ष नगर निगम रुद्रपुर द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
17. सफल निविदादाता द्वारा MSW Rule 2016 अन्य नियम एवं मा०एन०जी०टी० के नियमों का अनुपालन न करने अथवा शिथिलता बरतने पर मा० सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या राजकीय विभाग द्वारा यदि कोई अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तो उक्त आरोपित अर्थदण्ड को जमा करने का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
18. सफल निविदादाता को Current Waste के निस्तारण हेतु प्लांट पर न्यूनतम 01 सुपरवाईजर तैनात करना होगा, जिसे मकैनिकल/इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना अनिवार्य होगा।
19. सफल निविदादाता को श्रम नियमों, न्यूनतम मजदूरी तथा समय-समय पर विभिन्न न्यायालयों, आयोगों, अभिकरणों तथा नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जारी नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।
20. सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य में योजित कार्मिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित समस्त सुरक्षात्मक उपाय किये जायेंगे, तथा जैकेट, हेल्मेट, दस्ताने, मार्स्क, गम्बूट इत्यादि प्रदान किये जाना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
21. उपरोक्त के अतिरिक्त सफल निविदादाता को अपने प्रत्येक बिल के साथ यह प्रमाणपत्र नगर निगम रुद्रपुर को देना होगा कि उसके द्वारा SBM Rules 2016, SWM Rules 2016, CPCB की गाईडलाइन के अनुसार ही Current Waste के निस्तारण का कार्य सम्पन्न किया गया है। कार्य संतोषजनक होने की दशा में ही सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
22. सफल निविदादाता को प्लान्ट परिसर में आवश्यकतानुसार स्वयं के व्यय पर कैमरे लगवाने होंगे जिनका आउटपुट नगर निगम में देखे जाने की व्यवस्था सफल निविदादाता को सुनिश्चित करनी होगी।
23. सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा की कार्य की अवधि में किसी भी दशा में अपशिष्ट ट्रॉचिंग ग्राउण्ड के निकट प्रवाहित होने वाली नदी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर न आए। यदि इस कारण किसी न्यायालय, एन०जी०टी० अथवा अन्य ऐसे किसी आयोग की ओर से नगर निगम रुद्रपुर पर कोई अर्थदण्ड आरोपित होता है तो उसकी भरपाई निविदादाता से की जायेगी।

24. उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त प्लान्ट, मशीनों, बेल्ट, वाहनों का इधन व्यय, परिचालन (वाहन चालक व हैल्पर), वाहन के मरम्मत एवं अनुरक्षण के व्यवस्था आदि सफल निविदादाता को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करन होगी। सफल निविदादाता को नगर निगम से कोई मानव शक्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
25. उक्त कार्य को करने के दौरान उठने वाली धूल रोकने के लिए व्यवस्था सफल निविदादाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगी एवं कूड़ा उठाने के दौरान उठने वाली दुर्घट्य के लिए दुर्घट्य नाशक दवाई का छिड़काव करना भी आवश्यक होगा, जिस हेतु नगर निगम रुद्रपुर द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। प्लान्ट पर कूड़े में आग रोकने की व्यवस्था सफल निविदादाता को व्यय के व्यय पर करनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय/अधिकरण/मा० एन०जी०टी०/जिलाधिकारी कार्यालय/नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा नियमानुसार दण्ड आरोपित किये जाने पर उसे जमा कराने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
26. अनुबन्ध की अवधि में कार्य करने के दौरान यदि कोई कर्मचारी घायल होता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सफल निविदादाता प्रासंगिक कानून के तहत मुआवजे आदि के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना जोखिम का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा तथा इस सम्बन्ध में नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
27. सफल निविदादाता को कार्य की अवधि समाप्त होने तक कार्यस्थल के निकट अपना एक कार्यालय स्थापित करना होगा।
28. Current Waste से निकलने वाले इनर्ट (मिट्टी/बजरी) के निस्तारण की कार्यवाही सफल निविदादाता द्वारा स्वयं की जायेगी। निविदादाता को निस्तारित वेस्ट का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा। इनर्ट (मिट्टी/बजरी) के अलावा Current Waste से निकलने समस्त प्रकार के RDF / सामान (जैसे बोतल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहा, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी इत्यादि) का सफल निविदादाता द्वारा CPCB द्वारा निर्धारित मानकों के तहत निस्तारण किया जायेगा। RDF को नियमानुसार निस्तारित/विक्रय करने का अधिकार सफल निविदादाता को होगा।
29. यदि किसी दिन वर्षा के कारण अपशिष्ट गीला हो जाता है जिस कारण से कार्य नहीं हो पाता है तो निविदादाता को उस दिन के कार्य न करने पर कोई दण्ड नहीं लगाया जायेगा। इसी प्रकार नगर निगम के निर्देश पर कार्य रोका जाता है तो उस दिन के लिये भी कोई दण्ड (Penalty) नहीं लगाया जायेगा।
30. सफल निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर द्वारा कार्यादेश जारी किए जाने के 07 कार्यदिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में नगर निगम रुद्रपुर सफल निविदादाता का अनुबन्ध निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिस पर सफल निविदादाता का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकृत नहीं होगा।
31. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वित्तीय अभिलेख/प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निविदा डालने (Bid Submission Date) की तिथि से अग्रिम 90 दिनों तक के लिए होनी अनिवार्य है।
32. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
33. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा।
34. निविदा खोले जाने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में नियत समय पर ही खोली जायेगी।
35. अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के इतर सफल निविदादाता की कोई शर्त एवं दावा मान्य नहीं होगा।
36. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। यदि आपूर्तिकर्ता उस निर्णय से सहमत न हो तो प्रकरण आर्बिट्रेटर के माध्यम से निपटाया जायेगा। इस सन्दर्भ में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर आर्बिट्रेटर होंगे। अपरिहार्य कारणों से जिलाधिकारी महोदय के आर्बिट्रेटर न होने की दशा में उनके द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जायेगा।

37. आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बीट्रेटर के न्यायालय में पक्षकार अपने दावों के समर्थन में जो भी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे, उसका वहन पक्षकारों द्वारा स्वयं किया जायेगा। आर्बीट्रेटर की फीस का वहन पक्षकारों द्वारा आधा-आधा वहन करना होगा।

नोट- निविदादाता को मात्र क्रम संख्या i, ii, viii एवं ix पर अंकित अभिलेख ही मूल रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने होंगे तथा शेष अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(कपूर सिंह)
प्र० स्वास्थ्य लिपिक
नगर निगम, रुद्रपुर
उधमसिंहनगर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम, रुद्रपुर
उधमसिंहनगर

(हर्षपाल सिंह चण्डोक)
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर
उधमसिंहनगर

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
उधमसिंहनगर

(संजू नवियाल)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
उधमसिंहनगर

Rampal
(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
उधमसिंहनगर